	राजस्थान राजपत्र विशेषांक	RAJASTHAN GAZETTE Extraordinary
सत्यमेव जयते	साधिकार प्रकाशित	Published by Authority
	आषाढ़ 11, शुक्रवार, शाके 1943–जुलाई 2, 2021 *Asadha 11, Friday, Saka 1943- July 2, 2021*	

भाग-1(ख)

महत्वपूर्ण सरकारी आज्ञायें।

जल संसाधन विभाग

अधिसूचना

जयपुर, अप्रैल 01, 2021

संख्या: 04/ भू.अ./ ज.सं./2021/3001-3004:- चूंकि राज्य सरकार को ऐसा प्रतीत होता है कि राज्य व्यय पर सार्वजनिक प्रयोजनार्थ Construction of RCC box culvert at Ghagghar River way from Hanumangarh (Sri Ganganagar by pass) to Gangagarh (2KNG) & Construction of RCC box culvert at Ghagghar River Way near Hanumangarh junction (3KNG) के निर्माण में आने वाली भूमि को अवाप्त किया जाना आवश्यक है।

यह अधिसूचना जारी कर भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा-4(1) एवं राजस्थान भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का नियम, 2016 के प्रावधानों के अनुसरण में प्रभावित क्षेत्र में सामाजिक समाघात निर्धारण अध्ययन हेतु सम्बन्धित ग्राम पंचायत, नगरपालिका या नगर निगम से सम्पर्क करने एवं राजस्थान भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का नियम, 2016 के नियम 6(8) की पालना सूनिश्चित करने हेतु अधिशाषी अभियन्ता, घग्घर बाढ नियंत्रण एवं ड्रेनेज खण्ड, हनुमानगढ को अधिकृत किया जाता है।

भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा-4(6) के अन्तर्गत उपखण्ड अधिकारी हनुमानगढ संबंधित भूमि अवाप्ति अधिकारी होगे।

विवरण

कार्यालय अधिशाषी अभियन्ता घग्घर बाढ़ नियंत्रण एवं ड्रेनेज खण्ड हनुमानगढ़ के अन्तर्गत " Constructrion of RCC box culveret at Ghaggar River way from Hanumangarh Junction (Sriganganagar by pass) to Gangagarh" तथा "Construction fo RCC box culvert at Ghaggar River near Hanumangarh junction" के निर्माण के लिए अवाप्त की जाने वाली भूमि हेतु भूमि अर्जन पुनर्वास और पुनर्व्यवस्थान में उचित प्रतिकर पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 की धारा-4(1) की कार्यवाही बाबत् प्रस्तावः

क्र सं	कार्य का नाम	जिले का नाम	तहसील का नाम	उपखण्ड अधिकारी/भूमि अवाप्ति अधिकारी का नाम
1	" Construction of RCC box culvert at Ghaggar River way from Hanumangarh Junction (Sriganganagar by pass) to Gangagarh	हनुमानगढ	हनुमानगढ	हनुमानगढ
2	" Construction of RCC box culveret at Ghaggar	हनुमानगढ	हनुमानगढ	हनुमानगढ

	River way from Hanumangarh Junction			

फार्म -2

देंखे नियम -5

पार्ट-बी

सामाजिक समाघात निर्धारण की अधिसूचना

सामाजिक समाघात निर्धारण की अधिसूचना में निम्नलिखित सम्मिलित होगा-

	परियोजना विकासकर्ता का नाम	अधिशाषी अभियन्ता घग्घर बाढ नियंत्रण एवं ड्रेनेज खण्ड हनुमानगढ
क	प्रस्तावित परियोजना का संक्षिप्त विवरण औरर अर्जन के लिए प्रस्तावित भूमि का विस्तार, सामाजिक समाघात निर्धारण के अधीन आने वाले परियोजना क्षेत्र और प्रभावित	" Construction of RCC box culvert at Ghaggar River way from Hanumangarh Junction (Sriganganagar by pass) to Gangagarh के निर्माण कार्य पूरा करवाया जाना हैं। इसके लिए ग्राम 2 के.एन.जे. तहसील एवं जिला हनुमानगढ में इस कार्य कके अन्तर्गत 0.4094 है0 भूमि अधिग्रहण प्रस्तावित हैं तथा Construction of RCC box culvert at Ghaggar River near Hanumangarh Junction के निर्माण कार्य के लिए ग्राम 3 के.एन.जे. तहसील एवं जिला हनुमानगढ में इस कार्य के अन्तर्गत 0.3796 है0 भूमि अधिग्रहण प्रस्तावित है।
ख	सामाजिक समाघात निर्धारण के मुख्य उद्देश्य और महत्वपूर्ण क्रियाकलाप जिसके अन्तर्गत 1 परामर्श 2 सर्वेक्षण 3 सार्वजनिक सुनवाई/सुनवाईयां भी दें	1 परामर्श 2 सर्वेक्षण 3 सार्वजनिक सुनवाई
ग	यदि ग्राम सभा और/ या भू-स्वामी की सहमति अपेक्षित हैं तो अधिसूचना में इस बारे में कथन किया जाना होगा।	अधिनियम की धारा 2-1 के अन्तर्गत लागू नहीं
घ	सामाजिक समाघात निर्धारण के लिए समय सीमा और सामाजिक समाघात निर्धारण प्रकटीकरण की रीति के साथ अनेअचल परिणाम-सामाजिक समाघात निर्धारण रिपोर्ट एवं सामाजिक समाघात प्रबंधन-योजना विनिर्दिष्ठ किये जाने होंगे।	अधिनियम में निर्धारित प्रक्रिया व समय के अनुसार
इ	इस अवधि के दौरान इस आशय का कथन की प्रप्रीडन या धमकी के प्रयास से कार्यवाही अकत और शून्य किये जाने होंगे।	हां
च	सामाजिक समाघात निर्धारण ईकाई से सम्पर्क करने सम्बन्धी जानकारी	कार्यालय अधिशाषी अभियन्ता घग्घर बाढ नियंत्रण एवं ड्रेनेज खण्ड, हनुमानगढ़

जितेन्द्र दीक्षित
उप सचिव एवं प्रावै. सहा.
वास्ते मुख्य अभियन्ता, जल संसाधन,
राजस्थान, जयपुर।

राज्य केन्द्रीय मुद्रणालय,जयपुर।